उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-179/2017/1496/92-2-17-12जांच/15

लखनऊ:: दिनांक:: 13 अक्टूबर,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा में विकास खण्ड-अछनेरा के अंतर्गत मोरी चकोरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता से अधिक सामग्री क्रय करने, अपने स्थानान्तरण के उपरान्त तैनात किये अधिकारी को चार्ज मेमो न दिये जाने तथा राज्य सरकार को वित्तीय क्षति पहुचाये जाने के लिये श्री मुकेश कुमार गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1431/92-2013-89आरई/ 2009 दिनांक 10-04-2013 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, (मृतक) तत्कालीन सहायक अभियंता के 02 जनवरी,2017 को देहान्त हो जाने के दृष्टिगत वित्त सामान्य-3 के शासनादेश संख्या-3-1713/दस-87-933/98 दिनांक 28-07-1989 में दी गयी व्यवस्था **"मृत्यु होने की दशा में संबंधित सरकारी सेवक अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सकता है और चूंकि एकतरफा कार्यवाही विधिक दृष्टि से न्यायोचित नही कही जा सकती। अतः मृत्यु के दिनांक को ऐसे विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त हुई समझी जायेगी।"** के क्रम में श्री मुकेश कुमार गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1431/92-2013-89आरई/2009 दिनांक 10-04-2013 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-179/2017/1496(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री मुकेश कुमार गुप्ता (मृतक) तत्का0 सहायक अभियंता, प्रखण्ड-आगरा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in